भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3734

दिनांक 11.08.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

†3734. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं हो रही प्रशासनिक, वित्तीय और शासन संबंधी चुनौतियों का कोई आकलन किया है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों के लिए चलाए गए क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों, डिजिटल शासन पहलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण में सुधार करने में ई-ग्राम स्वराज और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की कमी, तकनीकी क्षमता के अंतर और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ड़) क्या दावणगेरे जिले सहित कर्नाटक की पंचायतों में शासन क्षमता और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए कोई विशेष पहल स्वीकृत की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): जी हाँ, महोदय। पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना लागू करता है। पंचायती राज मंत्रालय ने स्थानीय स्तर पर योजना बनाने, केंद्र-प्रायोजित योजनाओं को लागू करने और 'सतत विकास लक्ष्यों' (एसडीजी) को हासिल करने पर संस्थागत और क्षमता संबंधी कमियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, 'संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (आर.जी.एस.ए.) की केंद्र-प्रायोजित योजना का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाया है जिसे 'इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आई.आर.एम.ए)' ने किया है। इस मूल्यांकन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्षमता-निर्माण के तहत किए गए, कार्यों की रूपरेखा, उन्हें लागू करने की रणनीतियों, निष्कर्षों और उनके प्रभाव का आकलन किया गया है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि व्यवस्थित और बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण की कोशिशों, जैसे कि अध्ययन कक्ष, विषयगत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय दौरे तथा डिजिटल शिक्षण, ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी) तैयार करने, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने, डिजिटल गवर्नेंस, वित्तीय प्रबंधन और नागरिकों की भागीदारी के मामलों में पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

(ख): पंचायती राज मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है, जिसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस योजना के तहत, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न श्रेणियों, जैसे कि बुनियादी मार्गदर्शन और पुनरावलोकन कार्यक्रम, विषयगत हस्तक्षेप, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना से संबंधित कार्यक्रम आदि, के अंतर्गत क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए अनुभवात्मक शिक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्रीय दौरे को भी बढ़ावा देती है, साथ ही प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री आदि के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 1,92,17,145 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रशिक्षित किया गया है।

इस मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंचायतों के संबंध में शासन, क्षमता निर्माण और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई हैं।

कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के तहत आईआईएम/आईआईटी जैसे उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।एमडीपी के विशिष्ट मॉड्यूल के तहत, वर्ष 2024 से 10.07.2026 तक 3,490 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय ने आई.आई.एम. अहमदाबाद के सहयोग से ग्राम पंचायतों की वित्तीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत (ओ. एस. आर) पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। ओएसआर के विशिष्ट मॉड्यूल के तहत, वर्ष 2025 से 10.07.2026 तक 2,75,893 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है।महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के विशिष्ट मॉड्यूल के तहत, वर्ष 2025 से 10.07.2026 तक 1,53,616 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस मंत्रालय ने 'पंचायत उन्नति सूचकांक' (पीएआई) विकसित किया है जोकि एक संयुक्त मूल्यांकन ढांचा है, जिसका उद्देश्य 'सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' (एलएसडीजी के अनुरूप नौ थीमों पर ग्राम पंचायतों या उनके समकक्ष निकायों के कार्यनिष्पादन को मापना है। इस सूचकांक का उद्देश्य निधियों और योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से स्थानीय कार्य-योजनाएं बनाकर साक्ष्य-आधारित योजना तैयार करने में ग्राम पंचायत की सहायता करना है।

यह मंत्रालय, संशोधित आरजीएसए के अंतर्गत ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिससे जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और शासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत विकसित ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सुगम बनाया है। ई-ग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान को सक्षम बनाता है, जिससे धन का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलब कम होता है। मत्रालय ने अन्य राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ एकीकरण के माध्यम से ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म को मजबूत किया है। सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण ग्राम पंचायतों द्वारा पारदर्शी, कुशल और नियम-आधारित क्रय की सुविधा प्रदान करता है।

पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय वित्त आयोग निधि के उपयोग के पारदर्शी ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसे एप्लिकेशन ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है, जिसके तहत पंचायतों की योजना, गतिविधियों और कार्यों की प्रगति से संबंधित जानकारी

जनता तक पहुंचाई जाती है। इसी प्रकार, 'पंचायत निर्णय (NIRNAY) एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

(ग) : ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत, यह मंत्रालय प्रणाली-जनित रिपोर्ट, डैशबोर्ड, समय-समय पर समीक्षा बैठकों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संवाद के माध्यम से ई-पंचायत अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन और उपयोग की लगातार समीक्षा करता रहता है। ये समीक्षाएं डिजिटल शासन से संबंधित परिचालन और तकनीकी मुद्दों की पहचान करने और ई-पंचायत अनुप्रयोगों में निरंतर वृद्धि का समर्थन करने में सहायता करती हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने 'इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए)' द्वारा किए गए एक स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत कार्यान्वित डिजिटल शासन पहलों का आकलन किया है, जिन्होंने देखा है कि ई-पंचायत पहल ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और उभरती प्रौद्योगिकियों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही, योजना, वित्तीय प्रबंधन, लेखा परीक्षा और नागरिक भागीदारी को सशक्त किया है।

(घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों ने अपने अलग-अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। तदनुसार, पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की कमी, तकनीकी क्षमता की कमी और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी को दूर करने के लिए उठाए गए उपायों सहित पंचायत से संबंधित सभी मामले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है।

(ड़): पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में शासन क्षमता और डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई है, जैसे कि उपर्युक्त पैरा-(ख) में रेखांकित किया गया हैं।
